

**एनसीआर क्षेत्र मे वाहन / घर मे चोरी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त पुलिस मुठभेड के दौरान 01 अवैध तमंचा व कारतूस सहित गिरफ्तार तथा 01 मोबाइल फोन चोरी व 01 मो0सा0 चोरी की बरामद:-** थाना खोडा पुलिस की सक्रियता से उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब दिनांक 27.08.2019 को समय करीब 02.30 बजे नानक की पुलिया खोडा कालोनी से 01 अभियुक्त को 01 अवैध तमंचा मय 01 खोखा कारतूस व एक जिंदा कारतूस एव चोरी के 1 मोबाइल फोन व 01 मो0सा0 सहित गिरफ्तार किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता निम्नवत है:-**

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता	आपराधिक इतिहास
1. नितीश s/o सियाराम निवासी शानि बाजार खोडा कालोनी थाना खोडा जनपद गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम राजूपुर थाना धौसमण्डी जिला नालन्दा (विहार)	मु0अ0स0 502/17 धारा 25 आयुध अधि0 थाना खोडा गाजियाबाद मु0अ0स0 501/17 धारा 398,401 भादवि0 थाना खोडा गाजियाबाद मु0अ0स0 1398/19 धारा 4/25 आयुध अधि0 इन्द्रापुरम गाजियाबाद मु0अ0स0 8119/19 धारा 379 भादवि0 थाना वसन्तकुंज दिल्ली मु0अ0स0 410/19 धारा 307,411,482 भादवि0 थाना खोडा गा0बाद मु0अ0स0 411/19 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना खोडा गा0बाद मु0अ0स0 28869/19 धारा 379 भादवि0 थाना गाजीपुर दिल्ली मु0अ0स0 370/19 धारा 380,411 भादवि0 थाना खोडा गाजियाबाद

**अपराध करने का तरीका** – अभियुक्त रैकी कर घरों से सामान व मोबाइल फोन एव वाहन चोरी करते हैं। अभियुक्त चोरी करने का अभ्यस्त एवं शातिर किस्म का अपराधी है। जिनके विरुद्ध एनसीआर क्षेत्र में विभिन्न अभियोग पंजीकृत हैं। मौके से एक साथी खोडा कालोनी की संकरी गलियों एवं अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गया।

**बरामदगी का विवरण –**

- 01 अदद तमंचा 12 बोर मय एक खोखा व 1 जिंदा कारतूस।
- मो0सा0 हीरो होंडा स्पलेन्डर न0 UP14DR8826 जिसका जांच से सही न0 DL 13 SS 3540 है जो जिसके सम्बन्ध में थाना गाजीपुर मे एफआईआर न0 28869/19 धारा 379 भादवि0 पंजीकृत है।

3. Oppoकम्पनी मोबाइल फोन जिसका IMEI NO क्रमशः 861227039340374, 862127039340366 है जो थाना हाजा के मु0अ0 सं0 370/19 धारा 380 भादवि0 में चोरी है।

दिल्ली NCR गाजियाबाद में लूट करने वाला 01 शातिर लुटेरे गिरफ्तार, 01 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल व 01 चाकू नाजायज बरामद:- थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा दिनांक 26.08.2019 को लूटपाट करने वाले 01 शातिर अभियुक्त को अम्बेडकर पार्क के पास समय करीब 23.00 बजे गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 01 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल व 01 चाकू बरामद करने में सफलता प्राप्त की है।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों का विवरण:-

1. योगेन्द्र उर्फ योगी पुत्र गणेश रावत नि0 सी-181 गणेशपुरी थाना सा0बाद गा0बाद।

अभियुक्तों से बरामदगी का विवरण:-

1. 01 मोबाइल फोन सम्बन्धित मु0अ0सं0 1815/19 धारा 394/411 भादवि थाना सा0बाद गा0बाद।

2. 01 मोटर साइकिल सम्बन्धित मु0अ0सं0 635/18 धारा 379/411 भादवि थाना सा0बाद गा0बाद।

अभियुक्तों का अपराध करने का तरीका:-

अभियुक्तगण ने गहन पूछताछ के दौरान बताया कि हम लोग राह चलते लोगों/महिलाओं से मोबाइल आदि लूट कर ले जाते हैं एवं सुनसान गलियों में खड़ी मोटर साइकिल आदि चोरी कर उन्हें अन्जान लोगों को बेच देते हैं।

थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद पुलिस द्वारा 02 शातिर लुटेरे मय लूट के मोबाइल, सोने के आभूषण, नगदी व हथियार सहित गिरफ्तार:- थाना कविनगर पुलिस द्वारा दिनांक 26/08/2019 की रात्रि को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 02 शातिर लुटेरे हथियारो से लैस होकर पासपोर्ट कार्यालय के पास किसी बडी वारदात की फिराक में घूम रहे हैं। जो आये दिन लूट व छिनैती की घटनाओ को अन्जाम देते रहते हैं तथा लगभग एक माह पूर्व राजेन्द्र नगर क्षेत्र में हुई महिला के साथ हुई चैन लूट में सीसीटीवी फुटेज में भी यही लोग आये हुये थे इस सूचना पर पुलिस टीम मुखबिर द्वारा बताए स्थान के पास चैकिंग करने लगी तभी 02 व्यक्ति बिना नम्बर प्लेट की अपाची से पुलिस की तरफ आते दिखाई दिये जो पुलिस को देखकर वापस मोटर साइकिल को मोडकर भागने लगे बदमाश का शक होने पर रुकने को कहा तो नही रुके तब एक बारगी दबिश देकर घेरघोटकर दिनांक 26.08.19 को समय करीब 22.30 बजे पासपोर्ट कार्यालय हापुड चुंगी चौराहे के पास दोनो व्यक्तियो को पकड लिया जिनकी तलाशी लेने पर इनके कब्जे से 01 मोबाइल चोरी, 01 तमंचा मय 02 कारतूस .32 बोर ,01 चाकू,सोने के आभूषण, लूट की नगदी व 01 बिना नम्बर प्लेट की आपाची मोटर साइकिल बरामद हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्तगण रमन व विवेक ने बताया कि हम लोग गाजियाबाद के अलग अलग क्षेत्रों से मोटर साईकिलों से घूम घूमकर अकेली जा रही महिलाओं व पुरुषों से पर्स ,मोबाईल ,चैन व नगदी आदि सामान चाकू व तमंचा दिखाकर लूटकर भाग जाते हैं हम लोगो ने करीब 02 दर्जन से अधिक मोबाईल,चैन एवं पर्स लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं जिनमें से कुछ सामान हमने बेच दिया है तथा कुछ सामान ये है जो हमारे पास मिला है ये सारा माल हमने पिछले कुछ दिनों मे कई जगह से राह चलते लोगो से लूटा है ।

### **अभियुक्त का नाम पता –**

- 1- विवेक पाठक पुत्र सुबोध पाठक नि० वृन्दावन गार्डन थाना साहिबाबाद गा०बाद ।
- 2- रमन पुत्र ओमप्रकाश उर्फ ओमी नि० जनकपुरी थाना साहिबाबाद गा०बाद ।

### **अभियुक्तों से बरामदगी का विवरण**

- 1- 01 मोबाईल चोरी का सम्बन्धित मु०अ०स० 1954/18 धारा 379/411 भादवि थाना कविनगर गा०बाद
- 2- 01 तमंचा .32बोर मय 02 जिन्दा कारतूस सम्बन्धित मु०अ०स० 1756/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर
- 3- 01 चाकू सम्बन्धित मु०अ०स० 1757/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर गा०बाद
- 4- 01 सोने की अंगूठी (महिला की) सम्बन्धित मु०अ०स० 1596/19 धारा 392/411 भादवि थाना कविनगर
- 5- 01सोने की अंगूठी (पुरुष की) सम्बन्धित मु०अ०स० 1630/19 धारा 392/411 भादवि थाना कविनगर गा०बाद
- 6- 01 सोने की चैन सम्बन्धित मु०अ०स० 1336/19 धारा 392/411 भादवि थाना कविनगर गा०बाद
- 7- 04 हजार रुपये नगद सम्बन्धित मु०अ०स० 1343/19 धारा 392/411 भादवि थाना कविनगर
- 8- एक आपाची मोटर साईकिल बिना नम्बर प्लेट सम्बन्धित मु०अ०स० 1758/19 धारा 414 भादवि थाना कविनगर गा०बाद

### **आपराधिक इतिहास:-**

#### **विवेक पाठक**

- 1- मु.अ.स. 999/16 धारा 379/411/420 भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद ।
- 2- मु.अ.स. 1845/16 धारा 392/411/414 भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद ।
- 3- मु.अ.सं.2579/18 धारा 392 भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद
- 4- मु.अ.सं. 2580/18 धारा 392 भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद
- 5- मु.अ.सं.2581/18 धारा 392 भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद
- 6- मु.अ.सं.3130/18 धारा 392/411 भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद
- 7- मु.अ.सं. 3550/18 धारा 392 भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद
- 8- मु.अ.सं.1750/19 धारा 3/25 ए एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद
- 9- मु.अ.सं.1596/19 धारा 392/411 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद
- 10-मु.अ.सं. 1336/19 धारा 392/411 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद
- 11-मु.अ.सं. 1630/19 धारा 392/411 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद
- 12-मु.अ.स. 1954/18 धारा 379/411 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।
- 13-मु.अ.स. 1343/19 धारा 392/411 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद
- 14-मु.अ.स. 1758/19 धारा 414 भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद

## रमन

1. मु.अ.स. 886/16 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद ।
2. मु.अ.स. 1051//16 धारा 392/411 भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद ।
3. मु.अ.सं.1054/18 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद
4. मु.अ.सं. 2848/16 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद
5. मु.अ.सं. 574/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद
6. मु.अ.सं. 1757/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद
7. मु.अ.सं.1596/19 धारा 392/411 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद
8. मु.अ.सं. 1336/19 धारा 392/411 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद
9. मु.अ.सं. 1630/19 धारा 392/411 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद
- 10.मु.अ.स. 1954/18 धारा 379/411 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।
- 11.मु.अ.स. 1343/19 धारा 392/411 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद
- 12.मु.अ.स. 1690/19 धारा 392भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद
- 13.मु.अ.स. 1758/19 धारा 414 भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद

**थाना सिहानी गेट पुलिस टीम द्वारा अवैध अस्लाहों सहित 03 अभि0गण को किया गिरफ्तार:- थाना सिहानी गेट पुलिस द्वारा** दिनांक 27/08/19 को चैकिंग के दौरान 03 अभि0गण को 01 पिस्टल 32 बोर मय 02 कार0 व 02 अदद नाजायज चाकू सहित एएलटी चौराहा मेरठ रोड से समय 00.30 बजे गिरफ्तार किया गया।

## **गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-**

- 1-गोल्डी उर्फ सुमित पुत्र विनय कुमार निवासी- ब्रज विहार थाना-मुरादनगर गाजियाबाद
- 2-बिट्टू पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासी- ग्राम गढ़ी थाना- सिहानी गेट गाजियाबाद
- 3-अरुण पुत्र लोकेश निवासी- ग्राम डेरी बच्छा थाना-बादलपुर गौतमबुद्धनगर

## **बरामदगी**

- 1- एक पिस्टल 32 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामदा अभियुक्त गोल्डी उर्फ सुमित
- 2- दो अदद चाकू नाजायज बरामदा अभियुक्त बिट्टू व अरुण उपरोक्त

## **आपराधिक इतिहास अभियुक्त**

1. मु0अ0सं0 1323/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिहानीगेट गा0बाद
2. मु0अ0स0 1324/19 धारा 4/25 ए एक्ट थाना सिहानी गेट गा0बाद

3. मु0अ0स0 1325/19 धारा 4/25 ए एक्ट थाना सिहानी गेट गा0बाद

**01 अभियुक्त मय एक अदद तमंचा 315 बोर व 2 अदद जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार-** थाना भोजपुर पुलिस द्वारा दिनांक 26.08.19 को समय 19.14 बजे पुलिस टीम गश्त/चैकिंग के दौरान मुखबीर की सूचना पर सिखलाई के तरीके से हापुड – मोदीनगर मार्ग पर ग्राम मछरी से आते हुए मछरी –जहाँगीरपुरचौराहे से 50 कदम की दुरी पर सडक एक व्यक्ति को पकड लिया । जिससे नाम पता पूछा तो अपना **नाम आबिद पुत्र सियालत नि0 ग्राम मछरी थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद** बताया । जिसकी तलाशी ली गयी तो इसके पास से **एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 2 अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ** । जिसको हिरासत पुलिस मे लिया गया । जिसके सम्बन्ध मे थाना भोजपुर गा0बाद पर मु0अ0स0 324/19 धारा 3/25 आयुध अधिनियम मे अभियोग पंजीकृत किया गया है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता**

1. आबिद पुत्र सियालत नि0 ग्राम मछरी थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद

**बरामदगी का विवरण**

एक अदद तमंचा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस

**पंजीकृत अभियोग**

1. मु.अ.स. 324/19 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद ।

**01 किलो 150 ग्राम गांजा सहित एक अभियुक्त गिरफ्तार :-** थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा दिनांक 27.08.19 को समय 10.10 बजे चौड़ा खंडजा मेम्बर वाली गली के सामने से अभियुक्त आबिद पुत्र अय्यूब निवासी सह बिस्वा थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया है । जिसके कब्जे से 01 किलो 150 ग्राम गांजा बरामद हुआ है ।

**दुष्कर्म के अभियोग के दो आरोपी गिरफ्तार:-** दिनांक 26/08/2019 को थाना मसूरी पर वादी मुकदमा ने अपनी नाबालिग पुत्री उम्र करीब 14 वर्ष के साथ एक व्यक्ति द्वारा दिनांक 13/07/19 को दोपहर के समय करीब 03 बजे वह अपने घर पर अकेली थी घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म करने एवं उसकी नग्न फोटो खींचने तथा उसके छोटे भाई व एक अन्य साथी द्वारा घर में घुसकर उसकी नाबालिग पुत्री के साथ छेडखानी करने के संबंध में तहरीर दी तथा बताया कि दिनांक 13/07/2019 के पश्चात से ही तीनों आरोपियों द्वारा डरा धमकाकर उसकी पुत्री के फोटो वायरल करने की धमकी देकर भिन्न भिन्न जगहों पर बुलाकर उसे ब्लेकमेल कर रहे थे जिसके आधार पर मु0अ0सं0 590/19 धारा 452/354/354क/376/506 भादवि व 3/4 तथा 7/8 पाक्सो अधि0 के अंतर्गत थाना मसूरी पर पंजीकृत कराया गया। घटना की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए थाना मसूरी पुलिस द्वारा आज दिनांक

27/08/2019 को समय करीब 12.20 बजे मौहल्ला अम्बेडकर कालोनी से मुख्य आरोपी अवधेश व सह-आरोपी (नाबालिक) को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह कहीं जाने की फिराक में थे, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है तीसरे अन्य आरोपी की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

**गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम पता-**

(1) अवधेश पुत्र नरेश कुमार निवासी गली न012 अम्बेडकर कालोनी इन्द्रगढी थाना मसूरी जिला गाजियाबाद

(2) नाबालिक

**फरार अभियुक्त का नाम व पता-**

(1)शोभित पुत्र नेत्रपाल नि0 ग्राम चन्द्रावली थाना कोतवाली देहात बुलन्दशहर जनपद बुलन्दशहर

**01 किलो 550 ग्राम गांजा सहित एक अभियुक्त गिरफ्तार :-** थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा दिनांक 26.08.19 को समय 22.30 बजे जीवन गेट के पास से अभियुक्त मोमिन पुत्र शकील निवासी गोल्डन सिटी पावी थान ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया है। जिसके कब्जे से 01 किलो 550 ग्राम गांजा बरामद हुआ है।